

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-200/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० स्वाति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), प्रभावती अस्पताल, गया जी को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-10.06.2025 से 06.12.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-200/2025 - 223(17) पटना, दिनांक :- 19/02/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, गया जी/अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० स्वाति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), प्रभावती अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।